



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238941
CG-DL-E-20092022-238941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4181]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4181]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4365(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1120(अ), दिनांक 11 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के महबूबाबाद जिले में वालिगोंडा-थोररूर सेक्शन के NH-930P के कि.मी. 99.900 से कि.मी. 108.300 (रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, थोररूर) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), तथा अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21 अप्रैल 2022" को "द हिन्दू"(अंग्रेजी) और "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के महबूबाबाद जिले में वालिगोंडा-थोररूर सेक्शन के NH-930P के कि.मी. 99.900 से कि.मी. 108.300 तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, थोररूर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: महबूबाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पेद्दा वंजारा				
	गांव का नाम: वडुकोतपल्ली				
1	342/2	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.010117	मुत्तिनेनी नारायणा सॉन ऑफ मल्लय्या/कीर्ति रामाकृष्णा सॉन ऑफ रंगैया ()
2	343	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0404686	मुत्तिनेनी मल्लय्या सॉन ऑफ नारायणा ()
3	542/2	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.2377581	मुत्तिनेनी नारायणा सॉन ऑफ मल्लय्या ()
4	542/2	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.04552	सीसा राधाम्मा बाइफ ऑफ सोमैया/मुत्तिनेनी मल्लय्या सॉन ऑफ राजेशम/मुत्तिनेनी प्रभाकर सॉन ऑफ राजेशम/मुत्तिनेनी सोमैया सॉन ऑफ राजेशम ()
5	NALA	सरकारी(सरकारी भूमि)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.050585	नाला ()
			कुल	0.3844487	

[फा. सं. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4365(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1120(E), dated 11th March 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building(widening/ two/four-lane with paved shoulder, etc.), Maintenance, management and operation of Valigonda-Thorrur section of **NH-930P on the stretch of land from Km 99.900 to Km 108.300 (Revenue Divisional Officer,Thorrur) in the district of MAHABUBABAD in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Hindu*”(English) and “*Namasthe Telangana*”(Telugu) both dated **21 April 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-930P in the stretch of land from Km 99.900 to Km 108.300 (Revenue Divisional Officer,Thorrur) of Valigonda-Thorrur section in the district of MAHABUBABAD in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA District: MAHABUBABAD					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pedda Vangara				
	Village: Waddekothpalle				
1	342/2	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.010117	Muttineni Narayana son of Mallaiah/Keerthi Ramakrishna son of Rangaiah
2	343	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0404686	Muttineni Mallaiah son of Narayana
3	542/2	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.2377581	Muttineni Narayana son of Mallaiah

4	542/2	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.04552	Seesa Radhamma Wife of Somaiah/Muttineni Mallaiah son of Rajesham/Muttineni Prabhakar son of Rajesham/Muttineni Somaiah son of Rajesham
5	NALA	Government(Government Land)	Dry(Non Agricultural land)	0.050585	NALA
			TOTAL	0.3844487	

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D]

RAJESH GUPTA, Director